

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (.आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2017

दायर दि०

फैसल दि०

श्री लक्ष्मीलाल / पन्नालाल
(वादी)

अनवान

बनाम

श्रीमि.श्री. तहसीलदार
सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री लक्ष्मीलाल / पन्नालाल सेवक ने वाद प्रस्तुत कर मोजा सरोदा के खाता नम्बर २१५ जमाबन्दी सं० २०७३-७६ में अंकित स्वयं/पिता का नाम लक्ष्मीलाल / पन्नालाल गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मीलाल पिता पन्नालाल सेवक है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम लक्ष्मीलाल पिता पन्नालाल दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम लक्ष्मीलाल / पन्नालाल सेवक कि. सरोदा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/मलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा सरोदा की जमाबन्दी संवत् २०७३-७६ के खाता संख्या २१५ में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम लक्ष्मीलाल / पन्नालाल में संशोधन कर सही नाम लक्ष्मीलाल / पन्नालाल दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा (राज.)